

प्रेषक,

सदा कान्त,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,  
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,  
लखनऊ

2. उपाध्यक्ष,  
समस्त विकास प्राधिकरण,  
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-5

लखनऊ दिनांक 25 जून, 2013

विषय : माननीय न्यायालयों में योजित अवमाननावादों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1, उ०प्र०शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-1347/आ-1-2013 दिनांक 10 मई, 2013 का संदर्भ ग्रहण करना चाहें, जिसके द्वारा आवासीय अभिकरणों में विभिन्न प्रकरणों के सम्बन्ध में अधिकारियों/कर्मचारियों एवं सामान्य जन द्वारा योजित वादों में अभिकरणों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे स्वयं अपने स्तर से व्यक्तिगत रूचि लेकर विशेष रूप से अवमाननावादों की समीक्षा करें तथा सुनिश्चित करें कि सभी अवमाननावादों का निस्तारण उनके स्तर पर किया जाये।

इस सम्बन्ध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक अभिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी जुलाई, 2013 के प्रथम सप्ताह तक प्रत्येक अवमाननावाद में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल कराया जाना सुनिश्चित कराकर शासन को सूचित करें।

मा० न्यायालयों में लम्बित अवमाननावादों में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने हेतु प्रत्येक अभिकरण में 'लीगल-सेल' का गठन किया जाये, जिसमें आवश्यकतानुसार ऑउट सोर्सिंग के माध्यम से अधिवक्ताओं व अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें लिये जाने पर भी विचार किया जा सकता है।

प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में प्रत्येक अभिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के हस्ताक्षरों से इस आशय का प्रमाण-पत्र शासन/‘आवास-बन्धु’ को प्रस्तुत किया जाये कि उनसे सम्बन्धित अभिकरण में किसी भी अवमानना वाद में प्रति शपथ-पत्र दाखिल किया जाना शेष नहीं है।

उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

भवदीय,

(सदा कान्त)  
प्रमुख सचिव

संख्या: 1736(1)/आठ-1-07-34विविध/13 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र०शासन।
2. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, आवास बन्धु को इस आशय से प्रेषित कि वे अभिकरणों से प्राप्त सूचना को संकलित कराकर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रत्येक माह 07 तारीख को प्रस्तुत किया जाये।
4. समस्त अनुभाग अधिकारी, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र०शासन।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

  
(शिव जनम चौधरी)  
उप सचिव